न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(कल्पना अग्रवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 86/2019
प्रविष्टि दिनांक 20.11.2019

रामचन्द्र पुत्र गोपाल जाति माली निवासी शिवाजी कॉलोनी निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज.

–अपीलान्ट

बनाम

1–अवधेष पुत्र देवीलाल जाति ब्राहमण निवासी केसोटान का मोहल्ला कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2–कमला पत्नि देवीलाल जाति ब्राहमण केसोटान का मोहल्ला कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज.
3–तहसीलदार निवाई जिला टोंक राज.

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 2174 दिनांक 23.06.1989 वाके ग्राम कस्बा निवाई तहसीलदार निवाई

उपस्थिति –(1) श्री सीताराम विजय, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जितेन्द्र जैन,अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2

निर्णय **दिनांक 11.11.2025**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 23.06.1989 को मृतक खातेदार रामनारायण पुत्र भवंरलाल कोम ब्राहमण सा.देह खातेदार खाता संख्या 1016 किता 7 रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा एंव देवीलाल ऊर्फ रामनारायण पुत्र भवंरलाल कोम ब्राहमण सा.देह खातेदार खाता संख्या 425 किता 3 रकबा 5 बीघा की विरासत का नामान्तरकरण सं0 2174 दिनांक 23.06.1989 वाके ग्राम कस्बा निवाई अवधेष पुत्र रामनारायण व मु.कमला बेवा रामनारायण कोम ब्राहमण सा. देह खातेदार के नाम तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिए नोटिस की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण तलब किया गया। नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त। प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एंव अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1 व 2 की बहस सुनी गई।

अपीलांट्स के अभिभाषक ने अपनी बहस मे अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि आरजी खसरा नम्बर 2056 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा, खसरा न. 2071

जिला कलेक्टर
टोंक

रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 2073 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 2179 रकबा 1 बिस्वा, खसरा न. 2236 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 2297 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 3041 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा, कुल किता 8 कुल रकबा 27 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम करवा निवाई में रामनारायण पुत्र भवरलाल जाति ब्राह्मण के नाम भूमि अंकित थी, जिसके कोई वारिस, उत्तराधिकारी नहीं थे वह लाऔलाद फौत हुआ था, किन्तु रेस्पो.सख्या 1 ने अपने पिता देवीलाल पुत्र नाथूलाल की दिनांक 23.08.1986 को मृत्यु होने के पश्चात फर्जी एवं जालसाजी रूप से मृत्यु प्रमाण पत्र में देवीलाल के नाम के साथ ऊर्फ लगाकर रामनारायण पारीक अंकित करवाते हुए दिनांक 30.08.1986 को नगर पालिका निवाई से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर रामनारायण पुत्र भवंरलाल के नाम अंकित उपरोक्त वर्णित भूमि का उक्त नामा. फर्जी एवं जालसाजी पूर्वक पटवारी हल्का एवं राजस्व कर्मचारिया से मिलीभगत कर उक्त नामान्तकरण दौराने कैम्प ढाणी जुगलपुरा में तस्दीक करवाकर भूमि को गलत रूप से अपने नाम अंकित करवा लिया जबकि रामनारायण का रेस्पो.वारिस नहीं है। रेस्पो. के पिता व पति का नाम देवीलाल है तथा देवीलाल के पिता का नाम नाथूलाल है जो कि समस्त सरकारी दस्तावेज एवं रिकार्ड से भलीभाति साबित एवं प्रमाणित है।तहसीलदार निवाई द्वारा उक्त नामा. पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर तस्दीक किया है।अवधेश कुमार रामनारायण का पुत्र नहीं है, बल्कि वह देवीलाल पुत्र नाथूलाल का पुत्र है। इसी प्रकार कमला रामनारायण की पत्नि नहीं है वह देवीलाल पुत्र नाथूलाल की पत्नि है। रेस्पो. ने पटवारी हल्का से साजिश व मिलीभगत कर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर अपने पिता देवीलाल के आगे उर्फ लगाकर उक्त नामान्तकरण खुलवाया है। जो प्रथम दृष्टया ही दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड से फर्जी, जाली एंवं अवैध साबित व प्रमाणित है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के पिता व पति देवीलाल पुत्र नाथूलाल राजकीय सेवा में अध्यापक के पद पर कार्यरत थे, जिनका स्वर्गवास सन् 1986 में हुआ है, जिनके समस्त रिकार्ड में देवीलाल पुत्र नाथूलाल है तथा राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि रामनारायण पुत्र भंवरलाल के नाम दर्ज इन्द्राज है।दोनो ही व्यक्ति अलग–अलग है तथा पिता की वल्दीयत भी अलग–अलग है, जिससे प्रथम दृष्टया ही यह साबित व प्रमाणित है कि रेस्पाडण्ट ने देवीलाल के नाम के साथ उर्फ लगाकर अलग अलग व्यक्तियों को एक ही व्यक्ति बनाकर फर्जी व अवैध रूप से नामान्तकरण खुलवाकर राजस्व रिकार्ड में भारी फर्जकारी की है। स्वयं अवधेश पुत्र देवीलाल भी अध्यापक है तथा उसके भी सम्पूर्ण रिकार्ड में अपने पिता का नाम देवीलाल तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 जो कि देवीलाल की पत्नि है, वह देवीलाल की पेंशन उठा रही है, इससे उक्त दोनो व्यक्ति देवीलाल के वारिस होना प्रथम दृष्टया साबित व प्रमाणित है। उक्त नामान्तकरण मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 2297 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा पर रामनारायण पुत्र भंवरलाल के जीवनकाल से ही अपीलाण्ट के पूर्वज बाबा धन्ना जी एवं धन्ना जी के बांद गोपाल जी एवं वर्तमान में अपीलाण्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेण्ट का उक्त भूमि पर कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही रामनारायण का रहा है। रामनारायण के कोई वारिस व उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण जो भूमि राजगामी भूमि घोषित होनी चाहिए थी,उक्त भूमि को रेस्पो. ने बिना किसी सबूत व दस्तावेज के फर्जी तरीके से राजस्व रिकार्ड में कर्मचारियो से मिलीभगत कर अपने नाम का इन्द्राज करवाया गया है। ख.न .2297 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा के संबंध में अपीलांट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई ने दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 28.05.2013 को निर्णय पारित कर रामचन्द्र पुत्र गोपाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई के निर्णय दिनांक 28.05.2013 के विरूद्व रेस्पो. ने न्यायालय भू–प्रबंध

जिला कलेक्टर
टोंक

अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक के यहा अपील प्रस्तुत करने पर न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 8.07.2015 से न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई के निर्णय दिनांक 28.05.2013 को अपास्त किया गया है। न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक के निर्णय दिनांक 8.07.2015 के विरूद्व अपीलांट (रामचन्द्र) ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर में अपील प्रस्तुत कर रखी है। अपील वर्तमान में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर मे विचाराधीन है। जानकारी मे आने पर ऐसे नामान्तकरण व रिकार्ड को किसी भी समय दुरूस्त व संशोधित किया जा सकता है। यदि फिर भी माननीय न्यायालय हाजा उक्त प्रकरण में अपील प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की कोई देरी मानती है तो उसे कण्डोन किये जाने हेतु अपीलाण्ट की ओर से प्रार्थनापत्र तहत दफा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया है। अतः नामान्तकरण को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने जवाबी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 23.06.1989 को मृतक खातेदार रामनारायण पुत्र भवंरलाल कोम ब्राहमण सा.देह खातेदार व देवीलाल उर्फ रामनारायण पुत्र भवंरलाल कोम ब्राहमण सा.देह खातेदार की विरासत का नामान्तरकरण सं0 2174 दिनांक 23.06.1989 वाके ग्राम कस्बा निवाई अवधेष पुत्र रामनारायण व मु.कमला बेवा रामनारायण कोम ब्राहमण सा.देह खातेदार के नाम तस्दीक किया गया है। न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई के निर्णय दिनांक 28.05.2013 के विरूद्व रेस्पो. ने न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक के यहा अपील प्रस्तुत करने पर न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 8.07.2015 से न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट्र ट्रेक) निवाई के निर्णय दिनांक 28.05.2013 को अपास्त किया गया है। अपीलांट का क्या हक है। अपीलांट ने किस हैसियत से अपील पेश की है। मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाने मे दर्ज करवाकर मृत्यु प्रमाण पत्र को निरस्त करवावे। रेस्पो. वर्तमान मे उक्त नामान्तकरण मे वर्णित आराजी का खातेदार है। नामान्तकरण की कार्यवाही फिस्कल प्रोसीडिंग है,जिसमे किसी भी व्यक्ति के राईट टाईटल का निर्णय नही किया जाता है। अपीलांट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2297 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम कस्बा निवाई के संबंध मे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर रखी है। पक्षकारो के मध्य नियमित अपील/वाद सक्षम न्यायालय मे विचाराधीन है। अतः अपील अपीलांट निरस्त किया जाना न्याय संगत है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 23.06.1989 को मृतक खातेदार रामनारायण पुत्र भवंरलाल कोम ब्राहमण सा.देह खातेदार खाता संख्या 1016 किता 7 रकबा 23 बीधा 11 बिस्वा एंव देवीलाल ऊर्फ रामनारायण पुत्र भवंरलाल कोम ब्राहमण सा.देह खातेदार खाता संख्या 425 किता 3 रकबा 5 बीधा की विरासत का नामान्तरकरण सं0 2174 दिनांक 23.06.1989 वाके ग्राम कस्बा निवाई अवधेष पुत्र रामनारायण व मु.कमला बेवा रामनारायण कोम ब्राहमण सा. देह खातेदार के नाम तस्दीक किया गया है।

अभिभाषक उभयपक्ष ने नामान्तकरण संख्या 2174 दिनांक 23.06.1989 वाके ग्राम कस्बा निवाई मे वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 2297 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम कस्बा निवाई तहसील निवाई के संबंध मे पक्षकारान के मध्य माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के समक्ष विचाराधीन होना माना है।

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज नं.–371 में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर ने अपने प्रकरण सं. 32/दौसा ऑफ 95 उनवान गुलाबी व अन्य बनाम रामजी लाल निर्णय दिनांक 10.03.1998 में अंकित हैं कि "Rajasthan Land Revenue Act, Section 135- Appeal against order of Addl. Divisional Commissioner confirming order in respect of mutation-Held khatedar "S" expired leaving behind married daughter "D"- Mutation attested in name of adopted son on basis of customary law prevelant in the community. Declaratory suit pending in the Court in respect of khatedari rights between the parties- Proceeding of mutation no. 1172, ordered to kept pending if not attested, but if already attested mutation to be cancelled- Entries to be kept in the name of "S" and mutation be attested in light of the decision of pending suit- Orders of both the courts, held erroneous. APPEAL ACCEPTED तथा उक्त निर्णय के पैरा सं. 7 में अंकित किया हैं कि –''चूंकि दोनों पक्षकारों के मध्य खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद विचाराधीन हैं अतः यह उचित हैं कि उक्त वाद के निर्णय तक नामान्तकरण सं. 1172 की कार्यवाही को स्थगित रखी जावे। 1995 आर. आर.डी. 120 में यह मत व्यक्त किया गया हैं कि यदि पक्षकारों के मध्य में वाद विचाराधीन हैं तो वाद के निर्णय तक नामान्तकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जावें तथा नामान्तकरण यदि स्वीकार कर दिया गया हैं तो उसे निरस्त कर दिया जावे। राजस्व मण्डल की एकल पीठ के इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह अपील स्वीकार की जाती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त किए जाते है तथा आदेश दिया जाता हैं कि इस प्रकरण में वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख में मृतक सुन्दर के नाम ही रहेगी तथा पक्षकारों के मध्य में जो वाद विचाराधीन हैं उसके निर्णय के अनुसार नामान्तकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही की जावें।'' चूंकि विचाराधीन अपील में तहसीलदार निवाई द्वारा नामान्तकरण संख्या 2174 दिनांक 23.06.1989 वाके ग्राम कस्बा निवाई तस्दीक किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 2174 दिनांक 23.06.1989 में वर्णित खसरा नम्बर 2297 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम कस्बा निवाई तहसील निवाई की हद तक उक्त नामान्तकरण निरस्त किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि इस अपील मे विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2297 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा का राजस्व अभिलेख मे मृतक रामनारायण पुत्र भंवर लाल कोम ब्राह्मण सा.देह खातेदार के नाम ही रहेगी तथा पक्षकारो के मध्य मे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर में प्रकरण संख्या 4260/2015 उनवान रामचन्द्र बनाम अवधेश वगै. बाबत अपील विचाराधीन है, माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार नामान्तकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही तहसीलदार निवाई द्वारा की जावेगी।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलेक्टर
टोंक